



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268955
CG-DL-E-31122025-268955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5916]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5916]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6116(अ).— यतः, मै. लक्ष्मी इन्फोबैन वन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड), ने तेलंगाना राज्य में कोकापेट गांव, गांडीपेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित/अतिरिक्त क्षेत्र किया था;

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	का.आ. 1042(अ) दिनांक 27.03.2017	1.66	-	1.66
2.	का.आ. 1585(अ) दिनांक 09.04.2019	-	0.769	2.429

और यतः, मै. लक्ष्मी इन्फोबैन वन प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 1.3510 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः तेलंगाना राज्य सरकार ने उनके पत्र सं. 1229/आईटीई&सी/प्रोम/2016 दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के पत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, अनधिसूचित भूखंडों का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा। अनधिसूचना के बाद, ऐसे भूखंडों का उपयोग तमिलनाडु सरकार के भूमि उपयोग दिशा-निर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होगा;

और यतः विकास आयुक्त, विशाखापटनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 1.3510 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.3510 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 1.0780 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गांव का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	कोकापेट गांव	89/ए ए /2	0.0026
2		89/ए ए 2/2	0.048
3		89/ई /2	0.0506
4		89/ए ए /1/2	0.0026
5		89/ए ए 2/1/2	0.048
6		89/ई /1/2	0.0506
7		89/ए ए /1/1/2	0.0026
8		89/ए ए 2/1/1/2	0.048
9		89/ई/1/1/2	0.0506
10		89/ए ए /1/1/3	0.0026
11		89/ए ए 2/1/1/3	0.048
12		89/ई/1/1/3	0.0506
13		89/ए ए /1/1/4	0.0026
14		89/ए ए 2/1/1/4	0.048
15		89/ई/1/1/4	0.0506
16		89/ए ए /1/1/5	0.0038
17		89/ए ए 2/1/1/5	0.067
18		89/ई/1/1/5	0.0708
19		89/ए ए /1/1/6	0.0016
20		89/ए ए 2/1/1/6	0.0287
21		89/ई/1/1/6	0.0304
22		89/ए ए /1/1/7	0.0016
23		89/ए ए 2/1/1/7	0.0287
24		89/ई /1/1/7	0.0304
25		89/ए ए 1	0.215

26	89/ई1	0.367
कुल		1.3510
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		1.0780

[फा. सं. एफ.1/27/2016-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(SEZ Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6116(E).—Whereas, M/s. Laxmi Infobahn One Private Limited (formally M/s. GAR Corporation Pvt. Ltd), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Kokapet Village, Gandipet Mandal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/additional area the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No. and Date	Notified area (in Ha)	Additional area (in Ha)	Total resultant area (in Ha)
1.	S.O. 1042 (E) dated 27 th March, 2017	1.66	-	1.66
2.	S.O. 1585 (E) Dated 9 th April, 2019	-	0.769	2.429

AND, WHEREAS, M/s. Laxmi Infobahn One Private Limited has now proposed for de-notification of 1.3510 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its approval to the proposal vide letter No.1229/ITE&C/Prom/2016 dated 2nd April, 2025. Further, after de-notification, the de-notified land parcel would be utilized towards creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged. Post de-notification, use of such land parcels will conform to land use guidelines/master plans of the Government of Telangana;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.3510 hectares of the Special Economic Zone.

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 1.3510 hectares**, thereby making resultant area as **1.0780 hectares**. For de-notification, the survey numbers and the area are given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area in Hectares
1	Kokapet Village	89/AA/2	0.0026
2		89/AA2/2	0.048
3		89/E/2	0.0506
4		89/AA/1/2	0.0026
5		89/AA2/1/2	0.048

6		89/E/1/2	0.0506
7		89/AA/1/1/2	0.0026
8		89/AA2/1/1/2	0.048
9		89/E/1/1/2	0.0506
10		89/AA/1/1/3	0.0026
11		89/AA2/1/1/3	0.048
12		89/E/1/1/3	0.0506
13		89/AA/1/1/4	0.0026
14		89/AA2/1/1/4	0.048
15		89/E/1/1/4	0.0506
16		89/AA/1/1/5	0.0038
17		89/AA2/1/1/5	0.067
18		89/E/1/1/5	0.0708
19		89/AA/1/1/6	0.0016
20		89/AA2/1/1/6	0.0287
21		89/E/1/1/6	0.0304
22		89/AA/1/1/7	0.0016
23		89/AA2/1/1/7	0.0287
24		89/E/1/1/7	0.0304
25		89/AA1	0.215
26		89/E1	0.367
Total			1.3510
Grand total area of SEZ after above deletion			1.0780

[F. No. F.1/27/2016-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.